न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या — 144 / 2024

अनवान : —

1. बृजलाल पुत्र बनवारीलाल जाति नाई निवासी चक राजासर तहसील नोहर हाल निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर।

— वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र लुणाराम जाति सुथार निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
2. ताराचंद पुत्र अर्जनराम जाति जाट मकान संख्या कॉलोनी वार्ड स0 9 निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 05/11/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता संख्या 281 / 0 की कुल 1.5174 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है उक्त वाद भूमि में मुझ वादी का निरन्तर पूर्व से पश्चिम हिस्सा उत्तर से दक्षिण मुख्य सड़क नोहर पल्लू पर शांति पूर्व कब्जा काश्त की भूमि है लेकिन वर्तमान में वादी के अन्य भाईयों ने 3 / 4 हिस्सा भूमि को अन्यत्र बैय कर दिया है क्रेतागण वादी की भूमि पर काबिज होना चाहते है। अतः वादी उक्त वाद भूमि का हक हिस्सा व अच्छी मंदी भूमि के हिसाब से खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व अच्छी मंदी भूमि के हिसाब से खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 की तरफ से श्री महेशचन्द्र शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब दावा मय काउंटर क्लेम इस आशय का पेश किया की वादी की 0.3792 हैक्ट भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा समस्त प्रतिफल [illegible]रीद की हुई है। उत्तरदाता को खाता विभाजन से कोई ऐतराज नही है [illegible] दिनांक 29.01.2024 को जरिये बैयनामा 0.196 हैक्ट भूमि [illegible] की है किन्तु नामान्तरण अंकन में [illegible]/8996 हिस्सा अर्थात 0.26127 हैक्ट भूमि दर्ज कर दी जबकि 0.[illegible] हैक्ट भूमि दर्ज हो[illegible]। वाद भूमि में वादी का 1 / 4 हिस्सा अर्थात 0.37935 हैक्ट भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 2 की 0.196 हैक्ट भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.11 17:54:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तथा शेष प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर खाता व लगान मुताबिक हक व हिस्सा अनुसार अलग किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 2 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता संख्या 281/0 की कुल 1.5174 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

- ओमप्रकाश पुत्र लुणाराम हिस्सा पूर्ण जाति सुथार साकिन देह खातेदार
  ख0न0 102/1/1 रकबा 0.0198 हैक्ट बारानी प्रथम, ख0न0 102/1/2 रकबा 0.7063 हैक्ट बारानी प्रथम, ख0न0 159/1/1 रकबा 0.0179 हैक्ट बारानी प्रथम, ख0न0 159/1/2 रकबा 0.1980 हैक्ट बारानी प्रथम कुल किता 4 कुल रकबा 0.942 हैक्ट बारानी प्रथम
- ताराचन्द पुत्र अर्जनराम हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 सोनड़ी खातेदार
  ख0न0 102/1/3 रकबा 0.1625 हैक्ट बारानी प्रथम, ख0न0 159/1/3 रकबा 0.0335 हैक्ट बारानी प्रथम, कुल किता 2 रकबा
- बृजलाल पुत्र बनवारीलाल हिस्सा पूर्ण जाति नाई सा0 नोहर खातेदार
  ख0न0 102/1/4 रकबा 0.3128 हैक्ट बारानी प्रथम, ख0न0 159/1/4 रकबा 0.0666 हैक्ट बारानी प्रथम, कुल किता 2 कुल रकबा 0.3794 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 05/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.11 17:54:11 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 144/2024

अनवान : –

1. बृजलाल पुत्र बनवारीलाल जाति नाई निवासी चक राजासर तहसील नोहर हाल निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर।

– वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र लुणाराम जाति सुथार निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
2. ताराचंद पुत्र अर्जनराम जाति जाट मकान संख्या कॉलोनी वार्ड स0 9 निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 144 सन 2024 निर्णय दिनांक -05/11/2024.

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता संख्या 281/0 की कुल 1.5174 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

- ओमप्रकाश पुत्र लुणाराम हिस्सा पूर्ण जाति सुथार साकिन देह खातेदार
  ख0न0 102/1/1 रकबा 0.0198 हैक्ट बारानी प्रथम, ख0न0 102/1/2 रकबा 0.7063 हैक्ट बारानी प्रथम, ख0न0 159/1/1 रकबा 0.0179 हैक्ट बारानी प्रथम, ख0न0 159/1/2 रकबा 0.1980 हैक्ट बारानी प्रथम कुल किता 4 कुल रकबा 0.942 हैक्ट बारानी प्रथम
- ताराचन्द पुत्र अर्जनराम हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 सोनड़ी खातेदार
  ख0न0 102/1/3 रकबा 0.1625 हैक्ट बारानी प्रथम, ख0न0 159/1/3 रकबा 0.0335 हैक्ट बारानी प्रथम, कुल किता 2 रकबा
- बृजलाल पुत्र बनवारीलाल हिस्सा पूर्ण जाति नाई सा0 नोहर खातेदार
  ख0न0 102/1/4 रकबा 0.3128 हैक्ट बारानी प्रथम, ख0न0 159/1/4 रकबा 0.0666 हैक्ट बारानी प्रथम, कुल किता 2 कुल रकबा 0.3794 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.11 17:54:11 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर